सं. ए-20011/4/2017- हिंदी

सं.ए. 20011/30/2018-हिंदी/Hindi
भारत सरकार / Government of India
गृह मंत्रालय / Ministry of Home Affairs
समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार
Directorate of Coordination Police Wireless

खण्ड सं ,9 .के.स.का .परिसर/Block No.9, C.G.O., Complex,
लोधी रोड ,नई दिल्ली/Lodhi Road, New Delhi-3
दिनांक/Date:- 09/08/2019

परिपत्र/CIRCULAR

विषय: राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के अंतर्गत दोनों भाषाओं (हिंदी और अंग्रेजी) में जारी किए जाने वाले कागजातों के संबंध में

कृपया इस निदेशालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या ए. 20011/4/2017/हिंदी-Hindi, दिनांक 09 जुलाई 2019 के अंतर्गत अग्रेषित कार्यवृत्त के मद संख्या 3 (ख) के अनुसरण में, अधोहस्ताक्षरी को धारा 3 (3) के तहत आने वाले कागजातों की सूची सभी अधिकारियों को उनके सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित करने का निदेश हुआ है।

2. उपर्युक्त के संदर्भ में राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) के अंतर्गत आने वाले कागजातों की सूची निम्नलिखित है:-

(क) सामान्य आदेश (General Orders)

(ख) परिपत्र (Circulars)

(ग) संकल्प (Resolutions)

(घ) नियम (Rules)

(ड़) ज्ञापन (Memorandum)

(च) अधिसूचनाएं (Notifications)

(छ) प्रशासनिक एवं अन्य प्रतिवेदन (Administrative & other reports)

(ज) प्रेस विज्ञप्तियां (Press Communiques)

(झ) संविदाएं (Contracts)

(ट) करार (Agreements)

(ठ) अनुज्ञप्तियां (Licences)

(ड) अनुज्ञा पत्र (Permits)

(ढ) निविदा सूचना तथा निविदा प्रारूप (Tender Notices & Forms of Tender)

(ण) नीति दस्तावेज (Policy Documents)

3. यह भी सूचित किया जाता है कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के अन्तर्गत आने वाले सभी कागजात द्विभाषिक (हिंदी-अंग्रेजी) रूप में एक साथ जारी किए जाएं और जारी करते समय ध्यान रखा जाए कि हिंदी रूपांतर अंग्रेजी के ऊपर रहे। किसी प्रकार के उल्लंघन के लिए हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

4. धारा 3 (3) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले दस्तावेजों की हिंदी और अंग्रेजी प्रति यथा संभव संबंधित अनुभाग द्वारा तैयार कर पुनरीक्षण या अनुवाद जैसा भी मामला हो, के लिए हिंदी अनुभाग को भेजी जा सकती है। दस्तावेजों के अंग्रेजी मसौदा की एक प्रति मसौदा चरण (Draft stage) में ही हिंदी अनुभाग को भेजी जा सकती है ताकि अंग्रेजी मसौदा का अनुमोदन होने तक उस सामग्री का अनुवाद कार्य पूरा किया जा सके और उक्त दस्तावेज संबंधित अनुभाग द्वारा द्विभाषी रूप में जारी किया जा सके।

5. कृपया सभी अधिकारियों को सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

6. इसे निदेशक महोदय के अनुमोदन से जारी किया गया है।

आर.के. सिंह 09.8.2019
(डॉ. आर. के. सिंह)
सहायक निदेशक (राजभाषा)

<u>प्रतिलिपि</u>.

1. निदेशक महोदय के प्रधान निजी सचिव : सादर सूचनार्थ ।
2. अपर निदेशक (मुख्यालय)/अपर निदेशक (प्रचालन) के निजी सचिव : सादर सूचनार्थ
3. निदेशालय के सभी संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक
4. सभी संयुक्त सहायक निदेशक/लेखा अधिकारी, स.नि.पु.बे.
5. संयुक्त निदेशक, केंद्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान, वन्दे मातरम् मार्ग, नई दिल्ली
6. उप निदेशक, पोलनेट हब स्टेशन, समन्वय सदन, सिरी फोर्ट, नई दिल्ली
7. सहायक निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) - विभाग के वेबसाइट में अपलोड करने हेतु
8. सभी अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्रों के संयुक्त सहायक निदेशक/केन्द्र अधीक्षक:- विभाग के वेब साइट के माध्यम से
9. कार्यालय प्रति /नोटिस बोर्ड